

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
(केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना सं.74/2017-सीमा शुल्क (गै.टै.)

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई, 2017  
9 श्रावण, 1939 (शक)

का. आ.....(अ) .- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 36/2001-सीमा शुल्क (गै.टै.), दिनांक 3 अगस्त, 2001, जिसे का.आ. 748 (अ), दिनांक 3 अगस्त, 2001 के तहत प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी-1, सारणी-2 और सारणी-3 के स्थान पर निम्नलिखित सारणियाँ प्रतिस्थापित की जाएँगी, अर्थात्:-

"सारणी-1

| क्रम. सं. | अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष/<br>टैरिफ मद | माल का विवरण             | टैरिफ मूल्य<br>(अमरीकी डालर<br>प्रति मीट्रिक टन) |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------|--|
| (1)       | (2)                               | (3)                      | (4)  |
| 1         | 1511 10 00                        | कच्चा पॉम ऑयल            | 678  |
| 2         | 1511 90 10                        | आर बी डी पॉम ऑयल         | 697  |
| 3         | 1511 90 90                        | अन्य पॉम ऑयल             | 688  |
| 4         | 1511 10 00                        | कच्चा पामोलीन            | 705  |
| 5         | 1511 90 20                        | आर बी डी पामोलीन         | 708  |
| 6         | 1511 90 90                        | अन्य पामोलीन             | 707  |
| 7         | 1507 10 00                        | सोयाबीन का कच्चा तेल     | 820  |
| 8         | 7404 00 22                        | पीतल स्क्रैप (सभी ग्रेड) | 3369   |
| 9         | 1207 91 00                        | पोस्त बीज                | 2418   |

सारणी-2

| क्रम. सं. | अध्याय/शीर्ष/<br>उपशीर्ष/ टैरिफ<br>मद | माल का विवरण   | टैरिफ मूल्य<br>(अमरीकी डालर) |
|-----------|---------------------------------------|--|------------------------------|
| (1)       | (2)                                   | (3)  | (4)                          |
| 1         | 71 या 98                              | स्वर्ण, किसी भी रूप में, जिसके सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30.06.2017 की प्रविष्टि संख्या 356 और 358 के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया गया हो | 411 प्रति 10 ग्राम           |
| 2         | 71 या 98                              | रजत, किसी भी रूप में, जिसके सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30.06.2017 की प्रविष्टि संख्या 357 और 359 के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया गया हो    | 538 प्रति किलोग्राम          |

सारणी-3

| क्रम. सं. | अध्याय/शीर्ष/<br>उपशीर्ष/ टैरिफ<br>मद | माल का विवरण | टैरिफ मूल्य<br>(अमरीकी डालर प्रति<br>मीट्रिक टन) |
|-----------|---------------------------------------|--------------|--|
| (1)       | (2)                                   | (3)          | (4)  |
| 1         | 080280                                | सुपारी       | 3320"  |

[फा. सं. 467/1/2017-सीमा शुल्क-V]

(सत्यजीत मोहंति)  
निदेशक, भारत सरकार

नोट:- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. 36/2001-सीमा शुल्क (गै.टै.), दिनांक 3 अगस्त, 2001, का.आ.748 (अ), दिनांक 3 अगस्त, 2001 के तहत प्रकाशित की गई थी, तथा यह अंतिम बार अधिसूचना सं. 71/2017-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 14 जुलाई, 2017, जिसे का.आ. 2220(अ) दिनांक 14 जुलाई, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में ई-प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधित की गई थी।